मैं सुल्तान एक्सप्लोजिव गुंजोल बनाम अजीज खान
दीवानी वाद संख्या 24 / 2014

29.05.2018 :—

वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 16 नियम 8 सपठित धारा 151 सीपीसी इस आशय का पेश हुआ कि प्रकरण साक्ष्य वादी की स्टेज पर नियत है। वादी ने अपने वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज की सूची की क्रम संख्या 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18 में फोटोकॉपी दस्तावेज पेश किये है जिनमें क्रम संख्या 1, 2, 3 में वर्णित दस्तावेज ग्राम पंचायत गुंजोल से संबंधित है जिनकी असल ग्राम पंचायत गुंजोल के पास है। क्रम संख्या 15, 16, 17, 18 में वर्णित दस्तावेज रजिस्टार ऑफ फर्म्स जिला राजसमन्द से संबंधित है जिनके असल भी वहीं पर मौजूद है। उक्त समस्त दस्तावेज को असल में इन कार्यालय से मंगवाया जाना आवश्यक है ताकि इन्हें प्रदर्शित किया जा सके । प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेज को तलब किया जावें।

इस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए अप्रार्थी प्रतिवादी ने यह कथन किया कि वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी स्पष्ट किया कि उसे उक्त दस्तावेज की छायाप्रति कहां से प्राप्त हुई है। वादी इन दस्तावेज को सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर सकता था। उसे इन दस्तावेज की जानकारी प्रारम्भ से ही थी। प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जावे।

इस प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान् के तर्को को सुना तथा सूची दस्तावेज का भी अवलोकन किया। वादी के द्वारा इन दस्तावेज की फोटोप्रति पेश कर मूल प्रति संबंधित विभाग से तलब कराने बाबत् यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं जिनकी प्रति सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर पेश की जा सकती है। मूल दस्तावेज तलब करने पर संबंधित विभाग का कर्मचारी व मूल पत्रावली न्यायालय में आने पर अनावश्यक संबंधित विभाग का कार्य प्रभावित होगा। उक्त स्थिति में जबकि इन दस्तावेज की प्रति सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त की जा सकती है, मूल दस्तावेज तलब किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

प्रार्थी प्रतिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि वादी जिस रिटायरमेंट पार्टनर डीड के आधार पर उक्त वाद

प्रस्तुत किया है वह फर्जी तैयार की गई है जिसके संदर्भ में प्रतिवादी ने पुलिस थाना नाथद्वारा में परिवाद पेश किया है जिस पर पुलिस ने अन्वेषण कर रिटायरमेंट डीड को फर्जी मानकर वादीगण के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया है जिसका विचारण प्रारम्भ हो चुका है। अतः उक्त विचारण पूर्ण होने तक इस प्रकरण की कार्यवाही स्थगित की जावें।

इस प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब पेश न कर मौखिक जवाब पेश करते हुए विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी वादीगण ने कथन किया कि विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपराधिक प्रकरण के लम्बित होने के दौरान दीवानी प्रकरण की कार्यवाही स्थगित की जा सके । प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

इस प्रार्थना पत्र के संबंध में उभय पक्षकारान् के तर्को को सुना व उन पर मनन किया गया। दीवानी प्रक्रिया संहिता में आपराधिक कार्यवाही के लम्बित होने के दौरान दीवानी कार्यवाही को स्थगित करने का कोई प्रावधान नहीं है। आपराधिक कार्यवाही दीवानी कार्यवाही से भिन्न है जिसके कारण दीवानी कार्यवाही को नहीं रोका जा सकता। प्रार्थना पत्र आधार हीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रार्थी दिनांक 26.07.2018 को पेश हो।